भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 3186**

दिनांक 22 मार्च, 2018 को उत्‍तर के लिए

**इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आईजीएमएसवाई) का विस्तार**

**3186. श्री महेन्द्र सिंह माहराः**

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आईजीएमएसवाई) के अंतर्गत वर्तमान में 53 जिलों में गर्भवती महिलाओं को नकद अंतरण प्रदान किया जाता है;

(ख) क्या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अधिनियमन के पश्चात् आईजीएमएसवाई सर्वव्यापी हो जाएगी;

(ग) क्या मंत्रालय द्वारा उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह उल्लेख करते हुए एक हलफनामा दायर किया गया था कि वर्ष 2016-17 में आईजीएमएसवाई का विस्तार 200 जिलों में कर दिया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो क्या इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस योजना के तहत कितने नए जिलों को शामिल किया गया है और क्या योजना के विस्तार को बजटीय बाधाओं के कारण रोक दिया गया था?

**उत्‍तर**

डॉ. वीरेंद्र कुमार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(क) और (ख) : इंदिरा गांधी मातृत्‍व सहयोग योजना, जो 53 जिलों में प्रायोगिक आधार पर चलाई जा रही थी, 31.03.2017 को समाप्‍त हो गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) : सरकार ने देश के सभी जिलों को शामिल करने के लिए प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना को पूरे भारत में क्रियान्‍वयन का अनुमोदन किया है। यह स्‍कीम 01.01.2017 से लागू है।

(ड.) : उपरोक्‍त (घ) को दृष्‍टिगत रखते हुए, प्रश्‍न नहीं उठता।

\*\*\*\*\*